लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2642
उत्तर देने की तारीखः 02.08.2016

अन्य पिछड़ा वर्ग का विकास

2642. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि देश में उनकी जनसंख्या की तुलना में इस निमित्त अपर्याप्त राशि का आवंटन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में अ.पि. वर्ग की कुल जनसंख्या तथा प्रतिशत सहित सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उनके विकास के लिए आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अ.पि. वर्गों के विकास के लिए पर्याप्त निधियों के आवंटन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं सीमित निधि स्वरूप की हैं। आबंटित निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में सैद्धांतिक आबंटन के आधार पर संवितरित की जाती हैं। इस योजना का कार्यान्वयन तंत्र सुदृढ़ और प्रभावी है, तथा अनुमोदित दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

(ख) : अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या के बारे में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सितम्बर, 2008 में प्रकाशित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की 62वां दौर सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग जनसंख्या 40.2% अनुमानित थी।

(ग) : निधियों के योजनावार आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति (अनुबंध-I)
ii. अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (अनुबंध-II)
iii. अन्य पिछड़ा वर्ग बाल और बालिका के लिए छात्रावासों का निर्माण (अनुबंध-III)

निम्नलिखित ओबीसी योजनाओं के लिए, कोई राज्यवार सैद्धांतिक आबंटन नहीं किया जाता है:

iv. अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
v. ओबीसी और ईबीसी के लिए ओवरसीज़ अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डा. अम्बेडकर योजना
vi. अन्य पिछडा वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(घ) : वर्ष 2012-13 के लिए आबंटित निधियां 816.54 करोड़ रुपये थी तथा इसे वर्ष 2016-17 में 1215.00 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों के लिए निधि आबंटन बढ़ा दिया है।

*****

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान ओबीसी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवंटित निधि का ब्यौरा

लाख रुपए में

		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सैद्धांतिक आवंटन	सैद्धांतिक आवंटन	सैद्धांतिक आवंटन	सैद्धांतिक आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	5980.00	3022.00	3408.00	3404.00
2	बिहार	7328.00	6385.00	7205.00	7196.00
3	छत्तीसगढ़	1800.00	1569.00	1770.00	1766.00
4	गोवा	106.00	92.00	104.00	104.00
5	गुजरात	4264.00	3715.00	4192.00	4187.00
6	हरियाणा	1793.00	1562.00	1763.00	1761.00
7	हिमाचल प्रदेश	487.00	425.00	479.00	478.00
8	जम्मू-कश्मीर	882.00	769.00	868.00	867.00
9	झारखंड	2330.00	2030.00	2291.00	2288.00
10	कर्नाटक	4314.00	3758.00	4241.00	4236.00
11	केरल	2358.00	2054.00	2318.00	2315.00
12	मध्य प्रदेश	5125.00	4466.00	5039.00	5033.00
13	महाराष्ट्र	7935.00	6914.00	7802.00	7792.00
14	ओडिशा	2958.00	2577.00	2908.00	2905.00
15	पंजाब	1956.00	1704.00	1923.00	1920.00
16	राजस्थान	4843.00	4220.00	4762.00	4756.00
17	तमिलनाडु	5090.00	4435.00	5004.00	4998.00
18	तेलंगाना	0.00	2188.00	2471.00	2468.00
19	उत्तर प्रदेश	14092.00	12278.00	13854.00	13837.00
20	उत्तराखंड	713.00	621.00	701.00	700.00
21	पश्चिम बंगाल	6446.00	5616.00	6337.00	6329.00
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.00	11.00	11.00	11.00
23	दादर एवं नगर हवेली	17.00	17.00	17.00	17.00
24	दमन और दीव	11.00	11.00	11.00	11.00
25	चंडीगढ़	61.00	61.00	61.00	61.00
26	दिल्ली	93.00	93.00	93.00	187.00
27	पुडुचेरी	7.00	7.00	7.00	13.00
28	असम	7370.00	6469.00	7255.00	7255.00
29	मणिपुर	638.00	560.00	628.00	628.00
30	त्रिपुरा	850.00	746.00	837.00	837.00
31	सिक्किम	142.00	124.00	140.00	140.00
	कुल:	**90000.00**	**78499.00**	**88500.00**	**88500.00**

ओबीसी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व योजना के अंतर्गत राज्यवार निधियों का आवंटन

				लाख रूपए में	
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सैद्धांतिक आवंटन	सैद्धांतिक आवंटन	सैद्धांतिक आवंटन	सैद्धांतिक आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	984.00	571.00	571.00	536.00
2	बिहार	1206.00	1206.00	1206.00	1134.00
3	छत्तीसगढ़	296.00	296.00	296.00	279.00
4	गोवा	18.00	18.00	17.00	16.00
5	गुजरात	702.00	702.00	702.00	660.00
6	हरियाणा	295.00	295.00	295.00	277.00
7	हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	80.00	75.00
8	जम्मू-कश्मीर	145.00	145.00	145.00	137.00
9	झारखंड	384.00	384.00	384.00	360.00
10	कर्नाटक	710.00	710.00	710.00	667.00
11	केरल	388.00	388.00	388.00	365.00
12	मध्य प्रदेश	844.00	844.00	844.00	793.00
13	महाराष्ट्र	1306.00	1306.00	1306.00	1228.00
14	ओडिशा	487.00	487.00	487.00	458.00
15	पंजाब	322.00	322.00	322.00	303.00
16	राजस्थान	797.00	797.00	797.00	749.00
17	तमिलनाडु	838.00	838.00	838.00	787.00
18	तेलंगाना	0.00	413.00	414.00	389.00
19	उत्तर प्रदेश	2320.00	2320.00	2320.00	2180.00
20	उत्तराखंड	117.00	117.00	117.00	110.00
21	पश्चिम बंगाल	1061.00	1061.00	1061.00	997.00
22	असम	1228.00	1228.00	1228.00	1228.00
23	मणिपुर	106.00	106.00	106.00	106.00
24	त्रिपुरा	142.00	142.00	142.00	24.00
25	सिक्किम	24.00	24.00	24.00	142.00
26	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	11.00	11.00	11.00	11.00
27	चंडीगढ़	61.00	61.00	61.00	61.00
28	दादर एवं नगर हवेली	17.00	17.00	17.00	17.00
29	दमन और दीव	11.00	11.00	11.00	11.00
30	दिल्ली	93.00	93.00	93.00	93.00
31	पुडुचेरी	7.00	7.00	7.00	7.00
	कुल	**15000.00**	**15000.00**	**15000.00**	**14200.00**

वर्ष 2013-14 से आगे ओबीसी बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करने संबंधी योजना के अंतर्गत सैद्धांतिक आवंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14
		सैद्धांतिक आवंटन (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	195.00
2	बिहार	239.00
3	छतीसगढ़	59.00
4	गोवा	3.00
5	गुजरात	139.00
6	हरियाणा	58.00
7	हिमाचल प्रदेश	16.00
8	जम्मू-कश्मीर	29.00
9	झारखंड	77.00
10	कर्नाटक	167.00
11	केरल	77.00
12	मध्य प्रदेश	167.00
13	महाराष्ट्र	259.00
14	ओडिशा	96.00
15	पंजाब	64.00
16	राजस्थान	158.00
17	तमिलनाडु	166.00
18	तेलंगाना	0.00
19	उत्तर प्रदेश	459.00
20	उत्तराखंड	23.00
21	पश्चिम बंगाल	210.00
22	अंडमान निकोबार	अलग से केंद्र राज्य क्षेत्रवार आवंटन प्रस्तावित नहीं है।
23	दादर एवं नगर हवेली	
24	दमन और दीव	
25	चंडीगढ़	
26	दिल्ली	
27	पुडुचेरी	
28	असम	
29	मणिपुर	18.00
30	त्रिपुरा	23.00
31	सिक्किम	4.00
	कुल:	**4500.00**

टिप्पणी: वर्ष 2014-15 से आगे इस योजना के अंतर्गत कोई सैद्धांतिक आवंटन नहीं किया जा रहा है।